



पत्रांक संख्या- 146 / 12-1

दिनांक 15/07/2023

सेवा में,

मुख्य परियोजना प्रबन्धक,
रेल विकास निगम लि०,
निकट-गढवाल मण्डल विकास निगम,
श्यामपुर बाईपास रोड, ऋषिकेश।

विषय :- जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई बी०जी० रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु 1.12.06 हे० वन भूमि का रेल विकास निगम लि० को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal no.- FP/UK/Rail/151179/2022)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी०/यू०सी०पी०/07/42/2022/एफ०सी०/345 दिनांक-14.06.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की शर्तों सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है, जिसके क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, द्वारा उनके पत्रांक-3031/FP/UK/RAIL/151179/2022 दिनांक-27.06.2023 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित कर निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है :-

शर्त संख्या-01 यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन है तो उसकी अधिसूचना (Notification) भी अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाये।

शर्त संख्या-02 उपरोक्त के अतिरिक्त इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जाना भी अपेक्षित है कि प्रस्ताव में स्वीकृत समरेखण में ही वृक्षों का पातन एवं स्वीकृत समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है।

शर्त संख्या-03 यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावक विभाग को Working permission दे दी गयी है तो उसकी प्रति भी उपलब्ध कराये।

शर्त संख्या-04 प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक-1269/P.O दिनांक 10.06.2022 द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं०-01 के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये क्षेत्र जब सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किये जाते हैं तो उस आदेश में यह स्पष्ट इंगित हो कि प्रश्नगत सिविल क्षेत्र का रकवा कितना है तथा उसमें से कितना क्षेत्र वन विभाग के पक्ष में दाखिल खारिज किया जा रहा है एवं यह क्षेत्र पूर्व में किसी अन्य योजना में अथवा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत पूर्व में गठित प्रस्ताव में नहीं दिया गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी प्रश्नगत प्रकरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्नलिखित शर्तों की डिमांड अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

1- **शर्त संख्या-01** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

2- **शर्त संख्या-02** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि सौंपी जायेगी।

3- **शर्त संख्या-3.(क)** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.241 हे० अवनत वन भूमि मुनिकीरेती क०स०-03, शिवपुरी राजि में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु मु०-10,05,741.00 धनराशि जमा करनी होगी। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें, तथा प्रतिपूरक वनीकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, द्वारा प्रस्तुत किया जाना होगा।

वसूली वर्ष 2023-24 हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण :-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि --	2.241 हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०-	4,48,791.00 प्रति हे०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि--	2.241 X 4,48,791.00 =10,05,741.00

4- **शर्त संख्या-3.(ख)** के अनुपालन में वन क्षेत्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त क्षति पूरक वनीकरण क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5- **शर्त संख्या-3. (ग)** के अनुपालन में प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0फाईल , क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र प्रस्तावित एस0एम0सी0कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को कार्यानुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

6- **शर्त संख्या-04** के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना के भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जा सकते हैं। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

7- **शर्त संख्या-05** के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.1206 हे0 हेतु @ 12,92,850.00 प्रति हे0 की दर से मु0 14,48,768.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-F.No. 5-3/2011-एफ0सी0 Vol-1(i) दिनांक 06-01-2022 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है” :-

ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.40 MDF
एन0पी0वी की दर प्रति हे0-	मु0 12,92,850.00 (बारह लाख बयानबे हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.1206 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-	1.1206 हे0 X 12,92,850.00 = 14,48,768.00

8- **शर्त संख्या- 05 (ख)** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

9- **शर्त संख्या-06** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जो कि प्रस्ताव के अनुसार 19 वृक्षों एवं 20 SAPLINGS से अधिक नहीं होगी। एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

10- **शर्त संख्या-07** के अनुपालन में गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। साथ ही इसकी कड़ाई से निगरानी की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।

11- **शर्त संख्या-08** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से ही मान्य होगी।

12- **शर्त संख्या-9** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

13- **शर्त संख्या-10** के अनुपालन में नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनरपति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

14- **शर्त संख्या-11** के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौध रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वैच्छा अनुसार नहीं बदलेंगे, तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र वन क्षेत्राधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

15- **शर्त संख्या-12** के अनुपालन में नोडल अधिकारी, स्टेट कैम्पा के द्वारा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौध रोपण स्कीम के अनुसार बजट अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

16 **शर्त संख्या-13** इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

17- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18- शर्त संख्या-15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19- बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।

20- शर्त संख्या-17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिल्लर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

21- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

22- बिन्दु संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

23- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

24- शर्त संख्या-21 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिशा निर्देश फाईल सं0-11-42/2017- FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

25- शर्त संख्या-22 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

26- शर्त संख्या-23 के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना नोडल अधिकारी/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी। तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

28- शर्त संख्या-25 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर भी अपलोड की जानी होगी।

संख्या:- 146 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी, शिवपुरी राजि को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रभाग स्तर से सम्बन्धित बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए अनुपालन आख्या, समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्राक्कलन/शपथ पत्रों सहित प्रयोक्ता एजेन्सी के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

